"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011—कार्तिक 20, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/1-7/2007 (PF-2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) तृतीय श्रेणी सेवा नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6(क)	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900"

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम-6 (1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्य की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य 6(क) प्रशासन विभाग	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	100%	-	-"

3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 9 के कॉलम 3 में, शीर्षक "भृत्य" के सामने, अंक "01" के स्थान पर, अंक "03" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. अनुसूची-तीन में सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"विभाग का नाम	सेवा तथा पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य 2(क) प्रशासन विभाग	कम्प्यूटर ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एंट्री में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 3-10/2007/1-7 (PF-2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 11th November 2011

NOTIFICATION

No. F-3-10/2007/1-7 (PF-2).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Chief Technical Examiner (Vigilance) Class-III Service Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said rules,—

1. After serial number 6 of schedule-I, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"S. No.	Name of the Posts included in the service	Total No. of duty posts	Classification	Scale of Pay	+Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6(A)	Computer operator	01	Class-III	5200-20200	1900"

2. After serial number 6 of schedule-II, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"Name of the Department	Name of the service	Total Number of posts	Percentage of the number of posts to be filled		By transfer of the members of other services
			By direct recruitment [See Rule 6(1) (a)]	By promotion of the member of service [See Rule 6(1)(b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General 6(A) Administration Department	Computer operator	01	100%	-	- "

3. In column (3) of serial number 9 of schedule-II, against the heading "Peon", for the figure "01" the figure "03" shall be substituted.

4. After serial number 2 of schedule-III, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"Name of the Department	Name of the service and posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General 2(A) Administration Department	Computer operator	18 Years	35 Years	1. Should have passed Higher Secondary Examination or 10+2 or first year passed in Graduation examination from recognized Board/University.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Should have One year Diploma Certificate in Data Entry operator/Programming from any recognized institution and speed in data entry should be 5000 key depression per hour in Hindi and English."	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.